2 किस्म मुकदमा ... —तहसील

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार जरिये पटवार हल्का बरेप वहक श्री गोरधन पुत्र श्री मांगू जाति गुर्जर नि बरेप

मुकदमा न 35 /2018 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 24/9/18

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम बरेप खसरा नम्बर 602 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गै.मु.न (राजकीय भूमि) पर संवत 2075 में श्री गोरधन पुत्र श्री मांगूराम जाति गुर्जर निवासी बरेप (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा अवैध खनन कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी का भाई स्वयं उपस्थित हुआ। किसी भी प्रकार का साक्ष्य - सबूत पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम बरेप ख.न. 602 रकवा 0.16 किस्म गै.मु.नदी पर संवत 2075 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर अवैध खनन कर अतिकमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज वहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रुपया 2/- प्रति हैक्टर की 50 गुणा रूपया 16/- (रूपये सोलह रूपये मात्र) शास्ति कायम की जाती है।

कियान्विती हेतु पटवारी हल्का बरेप निर्णय की भू. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/9/18 का सरे इजलास सुनाया।

पंजिका ... वर्ष 2018-19 के पृष्ठ सं. 61
... 16/- ... रु0 ...

(हस्ताक्षर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

Scanned by CamScanner